

खतरनाक अपशष्टि का प्रबंधन

प्रलम्ब के लिये:

[खतरनाक अपशष्टि](#), [भस्मीकरण](#), [मथिइल आइसोसाइनेट](#), [फॉसजीन](#), [भोपाल गैस वभिषिका \(दावा कार्यवाही\) अधनियम, 1985](#), [पीडकनाशी](#), [लघु और मध्यम उद्यम \(SME\)](#), [अपशष्टि जल उपचार](#), [खतरनाक अपशष्टि प्रबंधन नियम, 2016](#), [पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986](#), [बेसल अभिसमय, 1992](#), [पायरोलसिस](#)

मेन्स के लिये:

खतरनाक अपशष्टि का प्रबंधन ।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यों?

[भोपाल गैस त्रासदी \(1984\)](#) के चार दशक बाद, मध्य प्रदेश में बंद पड़े [यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड \(UCIL\)](#) कारखाने से [खतरनाक अपशष्टि](#) (वषिकृत अपशष्टि) को अंततः जला कर भस्म करने के लिये बाहर निकाला गया ।

भोपाल गैस त्रासदी क्या थी?

- 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थिति UCIL पीडकनाशी संयंत्र में वनिशकारी रासायनिक रसाव हुआ ।
 - इस रसाव में [मथिइल आइसोसाइनेट \(MIC\) गैस](#) शामिल थी, जिससे भोपाल शहर में 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा पाँच लाख से अधिक लोग इस गैस से वषिकृत हुए, जिससे यह वशि्व की सबसे वनिशकारी औद्योगिक आपदा में परणित हुआ ।
 - [फॉसजीन](#) और [मथिइल आइसोसाइनेट](#) सहित रासायनिक रसाव की सूचना 1984 से पहले के वर्षों में दी गई थी ।
- रसाव का कारण: 1 दिसंबर 1984 को एक असफल रखरखाव पर्यास और अनुपयुक्त सुरक्षा प्रणालियों के कारण, MIC युक्त टैंक में रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 2 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रतिक लगभग 30 टन MIC गैस वायुमंडल में उत्सर्जित हुई ।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव:
 - तत्काल: इस गैस के संपर्क में आए व्यक्तियों को श्वसन संबंधी समस्याएँ, पेट दर्द, आँखों की समस्याएँ और तंत्रिका संबंधी हानियाँ हुई ।
 - दीर्घकालिक: प्रभावित लोगों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, आनुवंशिक दोष, गर्भावस्था पर प्रभाव जैसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हुई और शिशु मृत्यु दर में आकस्मिक बढ़ोतरी हुई ।
- सरकारी और वधिक प्रतिक्रिया : भारत सरकार ने पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधिक रूप में कार्य करने के लिये भोपाल गैस रसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधनियम, 1985 पारित किया ।
 - UCIL ने शुरू में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत का प्रस्ताव रखा लेकिन भारत सरकार ने 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की । अंततः वर्ष 1989 में न्यायालय के बाहर 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर में मामला सुलझाया गया ।
 - वर्ष 2010 में UCIL में कार्यरत सात भारतीय नागरिकों को लापरवाही से मृत्यु का दोषी ठहराया गया लेकिन उन्हें जमानत पर रहित कर दिया गया ।
- परिणाम और वरिसत: इतना समय बीतने के बावजूद, अभी भी बचे हुए लोगों के लिये स्वास्थ्य देखभाल का अभाव है तथा उन्हें फैक्टरी स्थल पर वषिकृत पदार्थों का जोखिम रहता है ।
 - वभिनिन कल्याणकारी संगठन बंद फैक्टरी स्थल से खतरनाक अपशष्टि को हटाने की मांग करते रहे हैं ।

मथिइल आइसोसाइनेट (MIC)

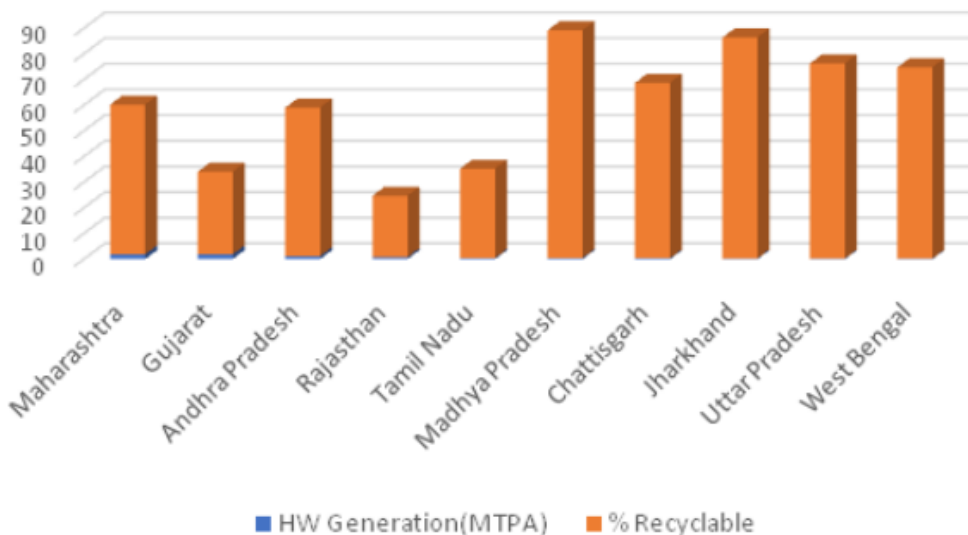
- परिचय: मथिइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन तरल है जिसका उपयोग [कीटनाशक](#) बनाने के लिये किया जाता है ।

- **प्रतिक्रियाशीलता:** यह रसायन ऊष्मा के प्रतिलब्धि क्रियाशील है।
 - जल के संपर्क में आने पर MIC में उपस्थिति यौगिक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे ऊष्मा प्रतिक्रिया होती है।
- **भंडारण:** इसका अब उत्पादन नहीं होता है यद्यपि इसका उपयोग अभी भी कीटनाशकों में किया जाता है।
 - अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्थिति इंस्टीट्यूट में बेयर क्रॉपसाइंस प्लांट वर्तमान में विश्व भर में MIC का एकमात्र भंडारण स्थल है।

खतरनाक अपशिष्ट क्या है?

- खतरनाक अपशिष्ट से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो **वषिकृतता, ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता या संक्षारकता** जैसी विशेषताओं के कारण एकल रूप से या अन्य पदार्थों के साथ मलिकर **स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा** उत्पन्न करता है।
- **स्रोत:**
 - **खतरनाक अपशिष्ट का उपयोग:** अधिकांश खतरनाक अपशिष्ट रासायनिक उत्पादन एवं उपभोग के दौरान उत्पन्न होते हैं, जो उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती मांग के साथ बढ़ रहे हैं।
 - **अनुपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ:** **लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME)** द्वारा प्रयुक्त पुरानी प्रौद्योगिकियों के कारण संसाधनों का अकुशल उपभोग होने के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में अधिक वषिकृत अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं।
 - **उपचार प्रणालियाँ:** **अपशिष्ट जल उपचार** एवं **गैसीय उत्सर्जन** के परिणामस्वरूप खतरनाक पदार्थ युक्त अवशेष उत्पन्न होते हैं।
- **खतरनाक अपशिष्ट विनियमन:**
 - **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1989** को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लाया गया।
 - इन नियमों को वर्ष **2008, 2009, 2010 और 2016 में संशोधित किया गया** ताकि अन्य प्रकार के अपशिष्ट (जैसे- प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज अपशिष्ट, धातु स्क्रैप और अपशिष्ट टायर) को इसमें शामिल किया जा सके।
- **बेसल कन्वेंशन, 1992:** भारत **बेसल कन्वेंशन, 1992** का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच खतरनाक अपशिष्ट के आवागमन को कम करना है।
- **अपशिष्ट उत्पादन:** भारत में उद्योगों से प्रतिवर्ष लगभग **7.66 मिलियन टन** खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
 - खतरनाक अपशिष्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि **44.3% अपशिष्ट भूमिभरण योग्य है, 47.2% अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य है, तथा 8.5% अपशिष्ट भस्मीकरण योग्य है।**
 - **83% खतरनाक अपशिष्ट** सात राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है।

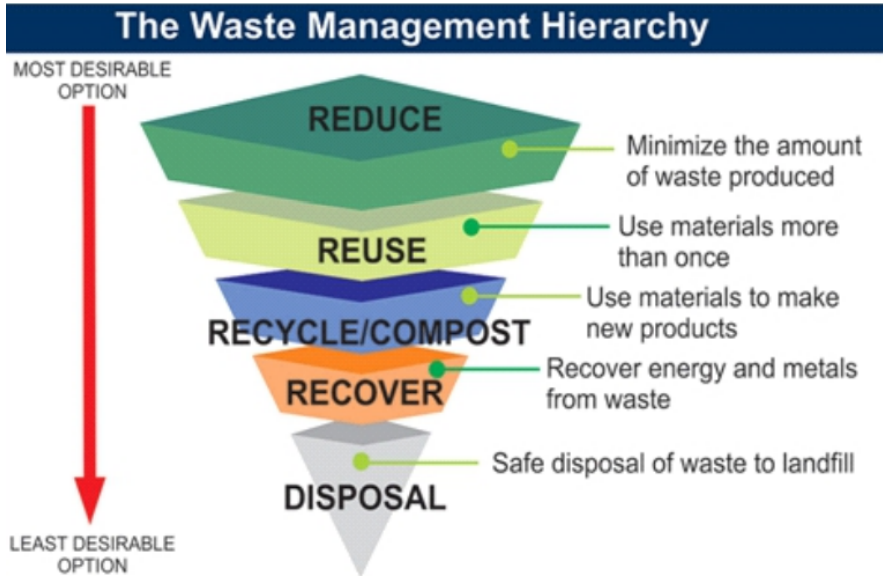
Percentage of Recyclable HW in Various States



- **खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन:** भारत के पर्यावरण सांख्यिकी संग्रह, 2016 के अनुसार, अधिकांश खतरनाक अपशिष्ट अपशिष्ट जल और फ्लू गैसों के उपचार के अलावा रासायनिक उत्पादन और धातु प्रसंस्करण उद्योगों से उत्पन्न हो रहा है।

खतरनाक अपशिष्ट का निपटान कैसे किया जाता है?

- **सह-प्रसंस्करण:** इसमें अपशिष्ट पदार्थों, जैसे औद्योगिक उप-उत्पादों या खतरनाक अपशिष्टों को उद्योगों, विशेष रूप से सीमेंट निर्माण या अन्य उच्च तापमान वाले उद्योगों में वैकल्पिक कचरे माल या ईंधन के रूप में उपयोग करना शामिल है।
 - भारत में लगभग 25 सीमेंट संयंत्रों ने सह-प्रसंस्करण आरंभ कर दिया है।
- **सामग्री एवं ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति:** सामग्री पुनर्प्राप्ति में अपशिष्ट में नहिती भौतिक मूल्य का उपयोग किया जाता है, जबकि ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में इसके कैलोरी मान का उपयोग किया जाता है।
 - उदाहरण के लिये केबल अवशेषों से ताँबे को पुनः प्राप्त करना और ताँबे को पुनः पघिलाना या प्रयुक्त बैटरियों से सीसा को पुनः प्राप्त करना।
 - प्रयुक्त स्नेहक तेल, वलायक, ठोस और अर्द्ध-ठोस ग्रीस तथा मोम का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिनमें तापीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
- **भस्मीकरण:** भस्मीकरण उच्च तापमान पर बड़ी भट्टियों में अपशिष्ट को दहन करने की प्रक्रिया है। यह अपशिष्ट पदार्थों की राख, फ्लू गैसों, कणों और ऊष्मा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग वदियुत उत्पादन के लिये किया जा सकता है।
- **पायरोलिसिस:** पायरोलिसिस में अपशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या सीमिति ऑक्सीजन के साथ आमतौर पर 300 °C से 900 °C तक के तापमान पर ऊष्मीय अपघटन शामिल होता है।
 - यह अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों जैसे बायो-ऑयल, सथिटिक गैस (सनिगैस) और चारकोल में परिवर्तित करता है।



नोट:

- बायो-ऑयल एक तरल ईंधन है जो जैव ईंधन (लकड़ी, कृषि अवशेष, शैवाल) और अन्य वनस्पति पदार्थों जैसे कार्बनिक पदार्थों के ताप-अपघटन के माध्यम से उत्पादित होता है।
- सथिटिक गैस एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन (H_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), तथा अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और मीथेन (CH_4) से बनी होती है।
- चारकोल एक ठोस, कार्बन-समृद्ध उपोत्पाद है जो पाइरोलिसिस जैसी प्रक्रियाओं में कार्बनिक पदार्थों के ऊष्मीय अपघटन के दौरान उत्पन्न होता है।

नषिकर्ष

भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा लापरवाही के भयावह परिणामों को उजागर करती है। हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और बेसल कन्वेंशन जैसी नियामक प्रगति के बावजूद, सुरक्षित अपशिष्ट निपटान में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिससे भारत में सख्त अनुपालन, तकनीकी उन्नयन और खतरनाक अपशिष्ट के प्रभावी उपचार की तत्काल आवश्यकता पर बल मिलता है।

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

प्रश्न: भारत में खतरनाक अपशिष्ट को नियंत्रित करने वाले प्रमुख नियामक ढाँचे क्या हैं?

????????

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिमैं एक महत्त्वपूर्ण वशिषता के रूप में 'वसितारति उत्पादक दायतिव' आरंभ कयिा गया था? (2019)

- (a) जैव चकितिसा अपशषिट (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 1998
- (b) पुनरचक्रति प्लास्टकि (नरिमाण और उपयोग) नयिम, 1999
- (c) ई-अपशषिट (प्रबंधन और हस्तन) नयिम, 2011
- (d) खादय सुरक्षा और मानक वनियिम, 2011

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत में ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019)

- (a) अपशषिट उत्पादक को पाँच कोटयिों में अपशषिट अलग-अलग करने होंगे ।
- (b) ये नयिम केवल अधसूचति नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे ।
- (c) इन नयिमों में अपशषिट भराव स्थलों तथा अपशषिट प्रसंसकरण सुवधिओं के लयि सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधति हैं ।
- (d) अपशषिट उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा ककिसि एक ज़लि में उत्पादति अपशषिट, कसिी अन्य ज़लि में न ले जाया जाए ।

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय जल नीतकि परगिणना कीजयि । गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए, नदयिों के जल प्रदूषण नयित्रण व प्रबंधन के लयि अंगीकृत की जाने वाली रणनीतयिों की वविचना कीजयि । भारत में खतरनाक अपशेषों के प्रबंधन और संचालन के लयि कया वैधानकि प्रावधान है? (2013)